रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 1974/श्रावण 5, 1896
No. 326] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 1974/SRAVANA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 27th July 1974

S.O. 457(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary so to do for maintaining and increasing supplies of milk and for securing its equitable distribution in the areas comprising the Union Territory of Delhi and the Districts of Meerut, and Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Order of the Government of India, in the Ministry of Agriculture No. 226(E) dated the 30th March, 1974, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products (Export) Control Order, 1974.

(2) It extends to the areas comprising the Union territory of Delhi and the Districts of Meerut and Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall cease to operate on the 1st day of October, 1974 except as respects things done or omitted to be done before such cesser of operation.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,

(a) "controlling officer" means any officer appointed as such by the Government of Uttar Pradesh in respect of the Districts of Meerut and Bulandshahr and by the Delhi Administration in respect of the Union territory of Delhi, to exercise the powers and perform the duties of a controlling officer under this Order;

(b) "export" means to take or cause to be taken, by any means whatsoever, out of any place within the areas to which this order extends to any place outside those areas;

(c) "milk" means the normal, clean and fresh secretion obtained by milking of the udder of a cow, buffalo, goat or sheep and includes milk with or without fat, butter milk, standardised milk, toned milk, double toned milk or milk prepared from milk powder, but does not include the article commonly known as dried milk or milk powder or condensed milk.

3. **Prohibition of export of milk and milk products.**—No person shall—

(a) export milk or milk products of any kind except sour butter milk or

(b) export or cause to be exported, cream, ease in (excepting ease in manufactured from sour milk for industrial purposes) skimmed milk, khoa, rubree, pancer or any kind of sweets in the preparation of which milk or any of its products (including dried milk or milk powder or condensed milk) except ghee, is an ingredient:

Provided that nothing in this clause shall apply to the export of milk or milk products of any kind by a person engaged in the manufacture of infant milk food—whose undertaking has been registered or licensed under the—

(i) Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and

(ii) who has been exporting milk of any kind for the purpose of the manufacture of infant milk food immediately preceding the commencement of this Order, it he has obtained a permit to that effect from the controlling officer.

4. **Power of entry search, seizure etc.**—(1) Any Stipendary Magistrate or any police officer, not below the rank of a head constable may with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order is being complied with:—

(a) stop and search any person or any boat, motor or other vehicle or any receptacle or machinery used or intended to be used for export of milk or milk products;

(b) seize or authorise to seizure of any milk or milk products in any place or premises together with packages coverings receptacles or machinery in which milk or milk products are found or the animals, vehicles vessels, boats or other conveyances used in carrying milk or milk products for export and thereafter take all measures necessary for securing the production of the packages, coverings, receptacles, machinery so seized in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

[No. 6-6/74-LD.I]

I. J. NAIDU, Addl. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1974

का० आ० 457 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दूध के प्रदायों को बनाए रखने और बढ़ाने और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के क्षेत्रों में उसका साम्यापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।

अतः अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 1974 के आदेश संख्या 226 (ई) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) यह आदेश दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दूध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1974 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के क्षेत्रों पर है ।

(3) यह 1-10-74 से लागू नहीं रहेगा और उन बातों के सिवाय जो ऐसे प्रवर्तन की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से रह गई है ।

2. **परिभाषा.**—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा उपेक्षित न हो :—

(क) "नियन्त्रक अधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है, जिससे मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने इस आदेश के अधीन नियंत्रण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इस हैसियत में नियुक्त किया है ।

(ख) "निर्यात" से ऐसे क्षेत्रों के बाहर, जिन पर इस आदेश का विस्तार है, भीतर के किसी क्षेत्र से उन क्षेत्रों के बाहर के किसी क्षेत्र को, किसी भी साधन से, ले जाना या लिया जाना अभिप्रेत है ।

(ग) "दूध" से अभिप्रेत है गाय, भैंस, बकरी या भेड़ के थनों से प्राप्त प्रसामान्य, स्वच्छ और ताजा स्राव और इसके अन्तर्गत वसा सहित या रहित दूध, मट्ठा मानक्ति दूध, टोंड दूध, डबल टोंड दूध या दुग्ध चूर्ण से बना दूध आता है किन्तु इसके अन्तर्गत वह वस्तु नहीं है जिसे सामान्यतया सुखाया हुआ दूध या दुग्ध चूर्ण या संघनित दूध कहते हैं ।

3. **दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात का प्रतिशोध.**—(क) कोई व्यक्ति खट्टे दूध के सिवाय दूध या दुग्ध उत्पाद निर्यात नहीं करेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति क्रीम, कैसीन (उस कैसीन को छोड़ कर जो खट्टे दूध से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तैयार किया हो) क्रीम निकले दूध, खोया, रबड़ी, पनीर या दुग्ध या दुग्ध (सूखे दूध या दुग्ध चूर्ण या संघनित दूध) के पदार्थों से बनी किसी भी प्रकार की ऐसी मिठाइयों का प्रयोग नहीं करेगा ।

(ग) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो शिशु दुग्ध आहार के विनिर्माण में लगा हुआ है और जिसका उपक्रम—

(i) उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) के अधीन रजिस्टर या अनुज्ञप्ति किया हुआ है तथा

(ii) शिशु आहार के विनिर्माण के प्रयोग के लिए इस आदेश के आरम्भ होने से तुरन्त पूर्व किसी प्रकार के दूध को निर्यात करता रहा है और यदि उस ने नियंत्रक अधिकारी से उस आशय की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है ।

4. "**प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां**.—(1) कोई भी दैनानिक मजिस्ट्रेट अथवा कोई भी पुलिस अधिकारी, जो हेड कांस्टेबल से नीचे के दर्जे का न हो इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि आदेश का अनुपालन किया जा रहा है ।

(क) किसी भी व्यक्ति को या किसी नाव, मोटर या अन्य गाड़ी या किसी पात्र या मशीनरी को, जो दूध के निर्यात के लिए या दुग्ध उत्पादनों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई हो या जिसको प्रयोग में लाना आशंकित हो, रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(ख) किसी भी स्थान या परिसर में कोई दूध या दुग्ध पदार्थ, और पैकेज, आवरण, पात्र या मशीनरी, जिनसे दूध या दुग्ध पदार्थ पाए जाते हैं या जिन के साथ ऐसे दुग्ध पदार्थ पाये जाएं या निर्यात के लिए दूध या दुग्ध पदार्थ ले जाने के उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या नावों का अन्य सवारियों को अभिगृहित कर सकेगा या उनका अभिग्रहण प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहित पैकेजों, आवरणों, पात्रों या मशीनरी को किसी न्यायालय में पेश करना और जब तक वे पेश किये जायें तब तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एतद्-द्वारा तत्पश्चात सभी आवश्यक उपाय करेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी धाराओं 100 के उपबन्ध इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहणों को यावत्तणक्य लागू होंगे ।

[सं० 6–6/74–एल० डी०]

आई० जे० नायडू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974